FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम दांतडा

रामदेव पिता हजारी चमार
निवासी– शिवनगर

बनाम श्रीमति मनभरी पत्नि सुखदेव चमार
निवासी– शिवनगर

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.ए. मुकद्दमा प्रकरण संख्या– 206/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.06.2018	प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नहीं होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें। हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2072 से 2075 मौजा शिवनगर पटवार हल्का गागेडा तहसील हुरडा की आराजी नं 310 रकबा 3 बीघा , आराजी नं 302, 307, 308 किता 3 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नं 676 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नं 678, 681 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा, भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है। –:आदेश:– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा शिवनगर पटवार हल्का गागेडा तहसील हुरडा की आराजी नं 310 रकबा 3 बीघा , आराजी नं 302, 307, 308 किता 3 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नं 676 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नं 678, 681 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा, भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक– गागेडा को 2,500/–रूपये (अक्षरे– दो हजार पॉच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 25.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा कैम्प

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner